Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में छेडछाड करने की घटना कारित करने के आरोपी दिलशाद को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई 03 वर्ष के कठोर कारावास व 5000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त दिलशाद पुत्र शमशाद निवासी चांदनहेडी थाना छपरौली जनपद बागपत के द्वारा छेडछाड करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 94/2021 धारा 354/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 18.09.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल पोक्सो कोर्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त दिलशाद को दोषी पाते हुये 03 वर्ष के कठोर का कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है।

नि0 श्री अतर सिंह प्रभारी मॉनिटरिंग सैल

श्री नरेन्द्र पवांर एडीजीसी

उ0नि0 श्री मेघराज विवेचक

का0 हरदीप कुमार कोर्ट पैराकार

@baghpatpolice | baghpatpolice | Baghpat Police

Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी अनुज उर्फ गप्पी को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 07 वर्ष के कठोर कारावास व 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त अनुज उर्फ गप्पी पुत्र योगेश निवासी ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत द्वारा हत्या का प्रयास करने की घटना कारित की गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 506/2019 धारा 147/148/149/307 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 18.09.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट-05 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त अनुज उर्फ गप्पी को दोषी पाते हुए 07 वर्ष के कठोर कारावास व 500 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

नि0 श्री अतर सिंह प्रभारी मॉनिटरिंग सैल

श्री अशोक सैनी एडीजीसी

नि0 श्री भूदेव सिंह विवेचक

है0का0 धर्मवीर कोर्ट पैराकार

@baghpatpolice | baghpatpolice | Baghpat Police

Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में अभियुक्त द्वारा वादी के भाई की गोली मारकर हत्याकी घटना कारित करने के आरोपी पवन कुमार को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ आजीवन कारावास व 44000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त पवन कुमार पुत्र जसवन्त सिंह निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत के द्वारा वादी के भाई की गोली मारकर हत्या की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रमाला पर मु0अ0सं0 64/2020 धारा 302/504 भादवि तथा मु0अ0सं0 65/2020 धारा 30 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था। इन अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 18.09.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट -01 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त पवन कुमार को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास व 44000 रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है।

नि0 श्री अतर सिंह प्रभारी मॉनिटरिंग सैल

श्री गगन गौड़ एडीजीसी

नि0 श्री रमेश सिंह सिद्धूविवेचक

है0का0 रवि कुमार कोर्टपैराकार

@baghpatpolice | baghpatpolice | Baghpat Police

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली दिनाँक 18.09.2026

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 205/26 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/109(1)/121(1)/132 BNS व 7 सीएल एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

<u>संक्षिप्त विवरण-</u>

दिनांक 08.07.2026 को थाना बिनौली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि प्रथम पक्ष के अभियुक्तों 1-नसीबुद्दीन, 2-उमरदीन पुत्रगण शेर अहमद, 3-अफजाल, 4-हैदर, 5-मोईन, 6-रिहान पुत्रगण उमरदीन, 7-समर उर्फ निसार, 8-विशाल उर्फ छोटू, 9-समीर पुत्रगण नसीबुद्दीन तथा द्वितीय पक्ष के 1-कामिल, 2-सावेज, 3-आलिम पुत्रगण इदरीश, 4-अलीमुद्दीन पुत्र शेर अहमद, 5-कासिम पुत्र अलीमुद्दीन निवासीगण ग्राम जहानगढ़ उर्फ दौझा थाना बिनौली जनपद बागपत एवं 25 से 30 अज्ञात महिला एवं पुरुषों द्वारा एक-दूसरे को जान से मारने की नीयत से ईंट-पत्थर, लाठी-डंडों एवं अन्य सामान से लैस होकर आपस में मारपीट की गई व फायरिंग की गयी। उक्त घटना से क्षेत्र में भय एवं दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया तथा भगदड़ मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस पार्टी द्वारा शांति व्यवस्था कायम करने एवं बीच-बचाव का प्रयास किए जाने पर उपरोक्त अभियुक्तों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा पुलिस पार्टी पर भी ईंट-पत्थर फेंककर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गई। इस सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 205/26 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/109(1)/121(1)/132 BNS व 7 सीएल एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना बिनौली पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में अब तक 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 205/26 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/109(1)/121(1)/132 BNS व 7 सीएल एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रिहान पुत्र उमरदीन निवासी ग्राम जहानगढ उर्फ दौझा थाना बिनौली जिला बागपत उम्र 19 वर्ष ,

गिरफ्तार अभियुक्त रिहान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 278/25 धारा 115(2), 117(2), 352 बीएनएस थाना बिनौली

2.मु0अ0सं0 141/26 धारा 110, 115(2), 126(2), 131, 191(2), 191(3), 351(3), 352 बीएनएस थाना बिनौली

3. मु0अ0सं0 205/26 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/109(1)/121(1)/132 BNS व 7 सीएल एक्ट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-व0उ0नि0 श्री नरेश चन्द्र यादव थाना बिनौली जनपद बागपत।

2-है0का0 217 अरूण कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली **दिनाँक 18.09.2026**

ऑपरेशन स्माइल अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस ने मु0अ0सं0 237/26 से सम्बन्धित 01 गुमशुदा बच्चे को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया।

संक्षिप्त विवरणः—

दिनांक 31.07.2026 को वादी श्री राजेन्द्र वर्मा पुत्र दिलावर निवासी ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि वादी का पुत्र उम्र करीब 13 वर्ष घर से दिनांक 28.07.2026 को बिना बताये कही चला गया है जो काफी खोजबीन के बाद भी नही मिला है। इस संबंध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 237/26 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही.-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माइल अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 237/26 से सम्बन्धित 13 वर्ष के 01 गुमशुदा बच्चे को अथक प्रयास के बाद बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया।

परिजनों द्वारा बागपत पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत

2- का0 892 तेजवीर थाना बिनौली जनपद बागपत

प्रेस नोट **जनपद बागपत**

थाना खेकडा दिनाँक 18**.09.2026**

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से कुल 100 पेटी अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का (कीमत करीब 5 लाख रुपये) व घटना में प्रयुक्त एक टाटा इन्टरा पिकअप वी-20 नं0 DL1LAL8226 बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से कुल 100 पेटी अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का (कीमत करीब 5 लाख रुपये), व घटना में प्रयुक्त एक टाटा इन्टरा पिकअप वी-20 नं0 DL1LAL8226 बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 336/26 धारा 63/72 उ0प्र0 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. सोमवीर पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम मदीना थाना बड़ौदा जिला सोनीपत हरियाणा उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

- **कुल 100 पेटीयो (5000 पव्वे) में कुल 900 लीटर अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का।**
- **घटना में प्रयुक्त एक टाटा इन्टरा पिकअप वी-20 नं0 DL1LAL8226**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।
2. है0का0 86 अजय कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।
3.है0का0 81 हिमांशु कुमार थाना खेक़डा जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना खेकडा बागपत **दिनाँक 18.09.2026**

थाना खेकडा पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियों में मारपीट करने वाले 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

सोशल मीडिया पर बडागाँव ढाबे के अन्दर मारपीट करते हुए एक वीडियो वायरल हुई जिसमें कुछ व्यक्तियों द्वारा मारपीट की गई । थाना खेकडा पुलिस द्वारा वायरल वीडियों का संज्ञान लिया गया एवं मारपीट करने वाले व्यक्तियों को चिन्हित किया गया जिसमें दिनांक 18-09-2026 को मारपीट करने वाले 02 अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. शिवम पुत्र पवन उर्फ सुक्के, निवासी ग्राम ढिकौली, थाना चांदीनगर, जनपद बागपत
2. विकास पुत्र सतीश, निवासी ग्राम ढिकौली, थाना चांदीनगर, जनपद बागपत,

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री मयंक प्रताप सिंह थाना खेकडा जनपद बागपत।

2-है0का0 396 नितेश कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।

3- का0 564 विनित कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।